



2026: AHC: 48162-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

सिविल विविध पुनरीक्षण आवेदन संख्या - 29/2026

कृष्ण गोपाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : गुलाब चंद्र तिवारी, विवेक दुबे

विपक्षी के अधिवक्ता : जगदीश पाठक, स्थायी अधिवक्ता

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह पुनरीक्षण याचिका (रिव्यू पिटीशन) याची द्वारा जनहित याचिका संख्या 237 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2026 के संबंध में दायर की गई है, जिसके द्वारा याची द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था।
2. याचिका जिला पंचायत राज अधिकारी, मथुरा द्वारा पारित संचार दिनांक 09.01.2026 को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा को स्पष्ट किया है कि खसरा संख्या 646 पर श्मशान घाट का निर्माण किया जा रहा है जो उक्त उद्देश्य के लिए दर्ज है और इस संबंध में की गई शिकायतें निराधार थीं।
3. न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि एक बार जब श्मशान घाट उस स्थान पर बनाया जा रहा है जो राजस्व अभिलेखों में श्मशान घाट के रूप में दर्ज है, तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। यू.पी. पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 96 को लागू करने से संबंधित अन्य आधार को इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए खारिज कर दिया गया कि उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए राज्य को कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. पुनरीक्षण याचिका इन दलीलों के साथ दायर की गई है कि राज्य ने दिनांक 02.09.2014 को एक आदेश जारी किया है जिसमें श्मशान घाटों के विकास के मापदंडों का संकेत दिया गया है और यह कि प्रश्नगत स्थान/स्थान उक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।
5. हमने दी गई दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
6. एक बार जब न्यायालय ने याचिका में उठाए गए आधारों के आधार पर दिनांक 30.01.2026 के अपने आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि दी गई चुनौती में कोई सार नहीं था, तो एक सर्कुलर (परिपत्र) के आधार पर पुनरीक्षण याचिका दायर करना, जिसकी ऐसी भूमि के उद्देश्य के लिए प्रयोज्यता जो पहले से ही श्मशान घाट के रूप में दर्ज है, संदिग्ध है, स्वीकार्य नहीं है।
7. अतः, पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।

10 मार्च, 2026

आर.के./ए.के. शुक्ला

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।